

RPA/2

कार्यालय आयकर आयुक्त, राजकोट-1, राजकोट

आयकर भवन, दुसरी मजिल, एसकोर्स रोड
फोन नंबर - 2458008 फेक्स नंबर - 2476192

सं. सं.आ.आ.राज-1/सर्टि/12ए/रेंज-05/सर्टि/2007-08

दिनांक 12 OCT 2007

जैसे की ता. 04-09-1991 के ट्रस्ट विलेख / एसोसीएशन झापन के द्वारा संघटित एवं ता. 23-09-1991 को पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर में पंजीकृत ट्रस्ट उमिया एज्युकेशन ट्रस्ट, राजकोट ने ता. 01/05/2007 को विहित फार्म में धारा 12 ए के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आवेदन फाइल किया है, जो अनुबन्ध सीमा में/निर्धारित समय से 14वर्ष 7 माह 27दिन विलंब से फाइल किया गया है। आवेदन दाखिल करने में देरी विलंब के लिए मानने योग्य कारण नहीं बताये गये है, अतः उक्त विलंब की मान्यता नहीं दी जाती है, फिर भी अधिनियम की धारा 12 ए के संशोधित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ता. 01/04/2007 से रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किया जाता है।

मेरे कार्यालय में रखे गये धारा 12 ए के अधीन आवेदन संबंधी रजिस्टर में सं.आ.आ.राज-1/सर्टि/12ए/रेंज-05/2007-08 नंबर पर आवेदन दर्ज किया गया है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधिन ही पंजीकरण किया गया है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12 एवं 13 अथवा अन्य कोड प्राक्यानों से संबंधित कार्यवाही करने का हक अथवा अधिकार प्रदान नहीं करता जोकि निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर तय किया जाना है।



-2-
(एस. योस)

आयकर आयुक्त, राजकोट-1, राजकोट

सं. सं.आ.आ.राज-1/सर्टि/12ए/रेंज-05/सर्टि/2007-08

दिनांक 12 OCT 2007

प्रतिक्रिया प्रेषित

- 1 उमिया एज्युकेशन ट्रस्ट- यह सूचित किय जाए कि उक्त ट्रस्ट / संस्था आयकर सूचि में स्माविष्ट है य नहीं, यदि हाँ, तो कृपया स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) का उल्लेख करें।
- 2 आ.अ. बोर्ड -1(3) राजकोट को ट्रस्ट / संस्था से प्राप्त संविधान (कोन्स्टीट्युशन) लेखा संबंधी विवरण आदि की प्रतिक्रिया के साथ।
- 3 संयुक्त अपर आयकर आयुक्त रेंज-1 राजकोट को जानकारी एवं आवश्यक कारवाई के लिए।

मेथ्युस
(मेथ्युस साइमन) आयकर अधिकारी(तक)-1
कृते, आयकर आयुक्त, राजकोट-1, राजकोट